

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी: ओमप्रकाश सहारण RAS

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्या-46/23 (खाद्य पदार्थ नमूना संख्या के, (1556)

राजस्थान सरकार जरिये जीत सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी श्री गंगानगर। पार्थी

दनाम

श्री रामपाल पुत्र श्री मंगलीप्रसाद खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स अमन स्वीट हाउस, कोर्ट
रोड, रायसिंहनगर, जिला अनूपगढ़।

अपार्थी

पार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)ii/51 FSSA Act 2006

निर्णय

दिनांक:- 13-8-24

यह इस्तगारा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर
द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 ii की धारा 51 एफ, एस, एस, ए 2006 के अन्तर्गत
पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगारा में वर्णित तथ्य इस प्रकार है- यह है कि परिवादी तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 23.09.2022 को दोपहर 12:00 बजे बजे पर निरीक्षणार्थ मैसर्स- अमन स्वीट हाउस, कोर्ट रोड,
रायसिंहनगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री रामपाल पुत्र श्री मंगलीप्रसाद खाद्यकारोबारकर्ता
एवं मालिक मैसर्स अमन स्वीट हाउस, कोर्ट रोड, रायसिंहनगर, जिला अनूपगढ़। संस्थान पर मालिक
श्री रामपाल पुत्र श्री मंगलीप्रसाद खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स अमन स्वीट हाउस कोर्ट
रोड रायसिंहनगर कारोबार कर रहा था, जिसका विक्रेता व मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय
पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञा पत्र मौके पर नहीं दिखाया। केवल
मौखिक रूप से आवेदन करना बताया।

यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान में लगभग 20 किलो रसगुल्ला मिठाई (छैना
मिठाई) बड़े एल्यूमिनियम केन में खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय हेतु रखा था। इसी रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई)की
शुद्धता की जांच हेतु श्री रामपाल पुत्र श्री मंगलीप्रसाद खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स अमन
स्वीट हाउस, कोर्ट रोड, रायसिंहनगर, जिला अनूपगढ़ से 2 किलोग्राम नमूना वास्ते जांच हेतु
खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई) का नगद मुगतान
280 रूपए किया तथा कौशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर हैं और मेरे भी हस्ताक्षर
हैं। विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म नं 5 ए भरकर प्रति नमूना सूचनार्थ दी गई गवाहान व स्वयं के हस्ताक्षर
कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवा के फॉर्म संख्या 5 ए की प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और खरीद प्राप्ती रसीद
ली जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई) को बराबर चार बोतलों में
भरकर लिया। 4 बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाए लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के-1556
के दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर
कराए। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की
हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के 1556 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से
चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रत्येक
नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये की पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर
हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण के- 1556 रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई) लिखकर हस्ताक्षर
किये। चारों नमूना भागों को अपने जाब्ले में लिया एवं मौके पर मौके फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाह
रामपाल
मौके पर पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होंने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर
हस्ताक्षर किये एवं मेरे स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं 6 की प्रतिया तैयार की और प्रत्येक
पर वह नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं 6 की आउटर कवर में सील
बंद कर सिल मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी तत्कालीन श्रीगंगानगर के द्वारा जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो
न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से
सील मोहर कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी वीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं 6 की पुस्तिका में रसीद
प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सिल बंद नमूना भाग में फॉर्म नं 6 की पुस्तिका में रसीद
आउटर कवर में सिल बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर
को मेरे स्वयं के द्वारा जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी
श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक FSSA/2022/507-08 दिनांक 28.11.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विरलेशक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राजस्थान बीकानेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट क्रमांक L.S.927/Act/2022/927 दिनांक 12.10.2022 अनुसार उक्त नमुना Sub Standard Food पाया गया। खाद्य विश्लेषक बीकानेर की जॉच रिपोर्ट न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्रावली, कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभीहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने पत्र 06.12.2022 के द्वारा अवधि पार खाद्य पदार्थ के नमून के प्रकरणों की अभियोजन समय सीमा बढ़ाने एवं माननीय न्यायालय में कैसे लगान की स्वीकृति प्रदान हेतु आवेदन किया है।

श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के पत्रांक खाद्य सुरक्षा/निदे./2022/337 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव को उक्त प्रकरण को संस्थित करने हेतु अधिकृत किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन स्वीकृति पत्र दिनांक 06.12.2022 संस्थित करने हेतु अधिकृत किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। अप्रार्थी द्वारा रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) ii/52 FSSA Act 2006

श्रीमान जी से निवेदन है कि अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सके।

गैरसायल द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकन किया कि गैरसायल द्वारा उक्त रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई) मिठाई कि परिवार पत्र की मद सं. 1 रिफॉर्ड का तथ्य है जो कि कानूनी विषय है। परिवार पत्र की मद सं. 2 में दर्ज तथ्य परिवारी की ओर से साबित किया जाना आवश्यक है कि उपरोक्त सैंपल की कथित कार्यवाही मनमाने तरीके से की गई है जो नियमानुसार नहीं की गई तथा सैंपल लेने की फर्द में किसी भी स्वतंत्र साक्षी को मौका पर नहीं बुलाया गया। परिवार पत्र की मद सं. 3 में परिवारी द्वारा 280 रूपए का भुगतान करना व खाद्य अधिकारी के हस्ताक्षर होने का विवरण अंकित है। परिवार पत्र की मद संख्या 4 अस्वीकार है। परिवार पत्र की मद संख्या अस्वीकार है। परिवार पत्र की मद संख्या 6 अस्वीकार है। परिवार पत्र की मद संख्या 7 कानूनी है। परिवार पत्र की मद संख्या 8 कानूनी विषयान्तर्गत आती है। परिवार पत्र की मद संख्या 9 अस्वीकार है। परिवार पत्र की मद संख्या 10 कानूनी विषयान्तर्गत है। परिवार पत्र की मद संख्या 11 अस्वीकार है। परिवार पत्र की मद संख्या 12 अस्वीकार है। परिवार पत्र की मद संख्या 13 स्वीकार है।

खाद्य निरीक्षक द्वारा इस्तगासा में दर्ज सभी आरोपों को निराधार बताया, एवं निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में विश्लेषण रिपोर्ट एफ.एस.एस.ए अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अंकित माप दण्ड अनुसार रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई) अमानक पाया गया है। तथा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा हो ऐसा कोई हानिकारक मिश्रण रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई) में होना खाद्य विश्लेषक अथवा खाद्य निरीक्षक द्वारा इस्तगासा में दर्ज नहीं किया गया है। बहस गैरसायल प्रार्थी प्रस्तुत जवाब तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक प्रयोग शाला बीकानेर दिनांक 12.10.2022 में रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई) एफ. एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन करते हुए नमुना 1556 Sub Standard food पाया गया है। अतः एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा 26(2) ii 52 के अन्तर्गत प्रावधान के मध्य नजर गैरसायलफर्म श्री रामपाल पुत्र श्री मंगलीप्रसाद खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स अमन स्वीट हाउस, कोर्ट रोड, रायसिंहनगर, जिला अनूपगढ़ /-25000/रूपये का आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फौसला भुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 13/8/24 को सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़